सं. 56] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003/चैत्र 22, 1925
No. 56] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003/CHAITRA 22, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएएमपी/51/2000-एनएमपीटी.--महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क-प्राधिकरण अपने पूर्व आदेश सं. टीएएमपी/51/2000-एनएमपीटी दिनांक 14 फरवरी, 2001 को एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार रद्द करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/51/2000-एनएमपीटी

आदेश

(मार्च, 2003 के 31वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास में उसके बल्क सीमेंट भंडारण और प्रहस्तन टर्मिनल में प्रहस्तित न्यूनतम वचनबद्ध सीमेंट यातायात पर घाटशुल्क का भुगतान करने के संबंध में मै. लारसन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन संबंधी मामला सं. टीएएमपी/51/2000-एनएमपीटी में दिनांक 14 फरवरी, 2001 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 28 फरवरी, 2001 को राजपत्र सं. 50 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/36/2001-पीजी दिनांक 26 सितम्बर, 2002 द्वारा सूचित किया है कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के गुण-दोषों पर विचार किए बिना, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा बिना प्राधिकार के पारित आदेश को रद्द करना, उल्लिखित कारणों से, लोक हित में आवश्यक होगा। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने इस प्राधिकरण को उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया है।

3. इस प्राधिकरण का मानना है कि संदर्भित आदेश को रद्द करने के अन्य मामलों पर विवक्षा के बारे में सरकार को सतर्क करना और धारा 54 के अधीन जारी किए गए निर्देश की पुष्टि करने के लिए कहना उचित होगा। तदनुसार, इस संदर्भ में पोत परिवहन मंत्रालय को दिनांक 9 अक्तूबर, 2002 को पत्र भेजा गया था।

4. पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/36/2001-पीजी दिनांक 26 मार्च, 2003 द्वारा स्पष्ट किया है कि यह प्राधिकरण संदर्भित आदेश को रद्द करे; और, यदि संबंधित पक्षों द्वारा सवाल उठाया जाता है तो बाकी मामलों में उपयुक्त समय पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1663 की धारा 54(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए, यह प्राधिकरण मामला सं. टीएएमपी/51/2000-एनएमपीटी में 14 फरवरी, 2001 को पारित अपना आदेश रद्द करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2003/असा.]